स्वच्छ भारत अभियान

दिनांक 22.08.2017

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को मिलेगा शासकीय योजनाओं का लाभ

भिलाईनगर/ शासन के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों को पहुंचाने के लिए शा0उ0मा0 शाला कोसानगर में शिविर आयोजित की गई। जहॉ पर दिव्यांगजन पंजीयन कराकर अपने दिव्यांगता के प्रतिशत के अनुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा। शिविर में अस्थि से संबंधित विकलांगता, आंख, नाक, कान, गला, मानसिक रोग, सिकलिन, लकवा, थैलेसिमिया (रक्त जनित) आदि बिमारियों के कारण जो हितग्राही पीड़ित है उनकी जांच कर डॉक्टर द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है। जिन्हे देखने से लगता है कि वे जन्म से ही दिव्यांग है उन्हे सुविधा प्रदान की जा रही है।

शासन के योजनानुसार 40 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत से कम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजनों के लिए पेंशन प्राप्त होगा, मुकबधीर को श्रवण यंत्र, जो चल नहीं सकता है उसे ट्राईसाईकल एवं शारीरिक रुप से अपंग लोगों के लिए कृत्रिम अंग लगाने की सुविधा प्रदान की जायेगी, जिससे रेलवे यात्रा में कन्शेसन, शासकीय बस में पास, शासकीय योजनाओं का लाभ, छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति, बी0पी0एल0 राशन कार्ड, आदि नियमानुसार बनाकर दिया जायेगा। एक ही शिविर में भाग लेने के बाद दिव्यांगजनों को दोबारा नहीं आना पड़ेगा, एक ही छत के नीचे एक बार में ही सब आवश्यक दस्तावेज प्रदान होगा। युनिक दिव्यांगता आई कार्ड (यु0डी0आई0डी0) योजना के अंतर्गत एक बार प्रमाण–पत्र कार्ड के रुप में प्राप्त हो जायेगा जो पुरे देश में लागु होगा हितग्राही को और कोई सार्टिफिकेट अपने पास नहीं रखना पड़ेगा इसके लिए सभी प्रमाण–पत्रों को स्केन करके पंजीयन करवाना होगा। पंजीयन के बाद जिला चिकित्सालय दुर्ग को जायेगा उसके बाद सेंन्ट्रल कार्ड बनने हेतु दिल्ली भेजा जायेगा, तीन चरणों के बाद युनिक दिव्यांगता आई कार्ड (यु0डी0आई0डी0) हितग्राही को प्राप्त हो जायेगा। महापौर देवेन्द्र यादव, आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी दिव्यांगजनों एवं उनके परिवार के सदस्यों से अपील की है कि शासन के योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक संख्या में आकर उठायें, समाज सेवी संगठनों, राजनीतिक दलों, के सदस्यों से भी अनुरोध है कि अपने आसपास कोई दिव्यांग व्यक्ति दिखे तो उसे निर्धारित शिविर में लाकर लाभान्वित करवायें। शिविर के दौरान क्षेत्र के पार्षद, एल्डरमेन, शासकीय चिकित्सक, नगर निगम, भिलाई के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।

जन सम्पर्क अधिकारी